अनुदान संख्या 35 – अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 35 - INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	***Revenue:***				
प्रभारित–	*Charged-*		*50,00*	..	*-50,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*50,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	20906,77,00			
			74029,43,00	56913,23,86	-17116,19,14
पूरक	Supplementary	53122,66,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				16981,38,62
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	452,00,00			
			878,00,00	679,28,75	-198,71,25
पूरक	Supplementary	426,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				171,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, ₹*50.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में समग्र बचतें (₹1711619.14लाख) जुलाई, 2021,दिसंबर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹5312266.00 लाख की पूरक अनुदान का 32 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹*50.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1711619.14 lakhs) constituted 32 percent of the supplementary grants of ₹5312266.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and 23 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037'' सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs				
मू.	O.	1536776.00			
पू.	S.	5312266.00	5157090.50	5153295.12	-3795.38
पु.	R.	-1691951.50			
मुख्य शीर्ष "2042" केन्द्रीय माल और सेवा कर और एकीकृत माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	Major Head "2042" Collection Charges under Central Goods and Services Tax & Integrated Goods and Services Tax				
मू.	O.	551701.00			
			545513.88	536591.18	-8922.70
पु.	R.	-6187.12			
मुख्य शीर्ष "2216'' आवास	Major Head "2216" Housing		2200.00	1437.56	-762.44

(I) ₹666.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2037" – "अन्य योजना के अंतर्गत छूट – उच्चतम न्यायालय में सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम के लिए मुकदमे के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" के तहत एक मामले में – पहले से जारी स्क्रिप और सीमाशुल्क आटोमेशन प्रणाली संबंधी उपयोगिता के लंबन संबंधी राशि में कमी करने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹666.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2037" – "Rebate under Other Scheme – Issue of Scrips under litigation for Served from India Scheme (SFIS) at Supreme Court" – due to downward revision of amount regarding scrip already issued and pending for utilization on Customs Automation Systems.

(II) मुख्य शीर्ष "2037" – निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट" – निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के अंतर्गत स्क्रिप निर्गम योजना" के अंतर्गत – ₹1300000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹202201 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1502201.00 लाख किया गया। तथापि, ₹300537.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) एक्सपोर्ट जनरल मनिफिफैस्ट के माध्यम से शिपिंग बिल दायर करने और उसके स्क्राल आउट के बीच समय अंतर के कारण वर्ष में दायर कुछ शिपिंग बिलों की स्क्रालिंग

(II) Under Major Head "2037" – "Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP)-Issue of scrips under Remission of Duties And Taxes on Exported Products(RoDTEP) Scheme"-the original provision of ₹1300000.00 lakhs was augmented to ₹1502201.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹202201.00 lakhs. However, there was a saving of ₹300537.00 lakhs (including supplementary grant) – due to non-scrolling of some of

नहीं होने के कारण हुई।

the shipping bills filed during the year owing to time lag between filing of shipping bill through Export General Manifest Gateway and its scroll out.

(III) मुख्य शीर्ष "2037" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2037" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट – राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम" – ₹1223202.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैया कराई गई थीं जो, तथापि, ₹305587.38 लाख की सीमा तक – निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यातकों द्वारा कुछ दावे दायर नहीं करने के कारण अप्रयुक्त रहीं।

(A) "Rebate on State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) - Issue of Scrips under Rebate on State and Central Taxes and Levies" – funds of ₹1223202.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹305587.38 lakhs – due to non-filing of some claims by exporters within stipulated time period.

(खा) भारत से मर्चेंडाइज निर्यात के अंतर्गत छूट योजना – भारत से मर्चेंडाइज निर्यात के अंतर्गत स्क्रिप निर्गम योजना" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2959920.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, ₹654773.46 की सीमा तक निधियां कुछ शिपिंग बिल दायर नहीं करने और लंबित विस्तृत जांच के कारण स्क्रिप जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहीं।

(B) "Rebate under Merchandise Export from India Scheme (MEIS) - Issue of Scrips under Merchandise Export from India Scheme" – funds of ₹2959920.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹654773.46 lakhs – due to non-filing of some shipping bills and non-issuance of scrips owing to pending detailed scrutiny.

(गा) भारत से सेवा निर्यात के अंतर्गत छूट योजना – भारत से सेवा निर्यात के अंतर्गत स्क्रिप निर्गम योजना" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹600120.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थी जो, तथापि, ₹190153.54 लाख की सीमा तक कुछ आवेदनों को अनुमोदित नहीं करने और लंबित विस्तृत जांच के कारण ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(C) "Rebate under Service Exports from India Scheme (SEIS) - Issue of Scrips under Service Exports from India Scheme" – funds of ₹600120.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹190153.54 lakhs – due to non-approval of some applications and not issuance of duty credit scrips owing to pending detailed scrutiny.

(घा) "टार्गेट प्लस स्कीम के अंतर्गत छूट प्रोत्साहन – टार्गेट प्लस स्कीम के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹154902.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थी जो, तथपि, ₹78264.37 लाख की सीमा तक कई फर्मों से बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहीं।

(D) "Rebate incentive under Target Plus Scheme - Issue of Scrips under Target Plus Scheme" – funds of ₹154902.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹78264.37 lakhs – due to non-submission of No dues certificate by many firms.

(ङ) "अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट" –

(E) "Rebate under Other Scheme" –

(क) अन्य योजना के अंतर्गत राज्य लेवी स्कीम पर छूट के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम" –पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹26400.00 लाख की निधियां प्रदान की गई थीं तथापि, ₹16458.81 लाख की राशि निर्यातकों द्वारा निर्धारित समयावधि में कुछ दावे दायर नहीं करने के कारण अप्रयुक्त रही।

(a) "Issue of Scrips under Rebate on State Levies Scheme under Other Scheme (RoSL)" - funds of ₹26400.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹16458.81 lakhs – due to non-filing of some claims by exporters within stipulated time period.

(ख) "मोबाइल फोन के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹10980.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, ₹5710.00 लाख की सीमा तक अप्रुक्त रहीं;

(b) "Issue of Scrips under 2% Additional Adhoc incentive for Mobile Phones" – funds of ₹10980.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹5710.00 lakhs;

(ग) "फोकस उत्पाद स्कीम और बाजार सहबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹56568.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं, जो, तथापि, ₹51620.00 की सीमा तक अप्रयुक्त रही;

(c) "Issue of Scrips under Focus Products Scheme and Market Linked Focus Product Scheme" – funds of ₹56568.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹51620.00 lakhs;

(घ) "फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम"– पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹17527.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं, जो, तथापि, ₹17081.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही;

(d) "Issue of Scrips under Focus Market Scheme" – funds of ₹17527.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹17081.00 lakhs;

(ङ) "विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹13615.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, ₹13548.00 लाख तक अप्रयुक्त रहीं;

(e) "Issue of Scrips under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana" – funds of ₹13615.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹13548.00 lakhs;

(च) "स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹37890.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, ₹37387.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही; और

(f) "Issue of Scrips under Status Holders Incentive Scheme (SHIS)" – funds of ₹37890.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹37387.00 lakhs; and

(छ) "वार्षिक इंक्रीमेंटल निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्क्रिप का निर्गम" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹8275.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, ₹8133.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(g) "Issue of Scrips under Annual Incremental Export Incentivization Scheme" – funds of ₹8275.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹8133.00 lakhs.

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें पहले से जारी स्क्रिप के संबंध में संशोधन द्वारा राशि कम करने और सीमाशुल्क आटोमेशन प्रणालियों पर उपयोगिता लंबित रहने के कारण हुई।

Savings under above six heads were due to downward revision of amount regarding scrip already issued and pending for utilization on Customs Automation Systems.

(IV) मुख्य शीर्ष "2037" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः

(IV) Under Major Head "2037" – savings occurred under the following heads:-

(का) "राजस्व सह आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य" –

(A) "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions" -

(क) "सागर सीमाशुल्क – बड़े पत्तन" – ₹1617.83 लाख की बचत (₹81601.18 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण किए गए दौरों, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण के दावों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कम न्यायालय शुल्क की अदायगी और बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुई।

(a) "Sea Customs - Major Ports"- saving of ₹1617.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹81601.18 lakhs) was due to requirement of less funds towards tours undertaken, leave travel concession claims, leave encashment owing to COVID-19 pandemic, non-payment of deficit court fee and non-submission of bills.

(ख) "केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला" – ₹878.74 लाख की बचत (₹3021.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, हकदार अधिकारियों के लिए लैपटाप और स्मार्टफोन की खरीद को अंतिम रूप नही दिए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कम फिजिकल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और अन्य स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Central Revenues Control Laboratory" - saving of ₹878.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3021.20 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of procurement of laptops and smart phones for entitled officers, less conduction of physical training programmes owing to COVID-19 pandemic and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(खा) "निवारण और अन्य कार्य" –

(क) "समुद्र सीमाशुल्क – बड़े पत्तन" – ₹8653.74 लाख की बचत (₹124485.57 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत दावों, छुट्टी नकदीकरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता, किराया मामलों में संशोधन नहीं करने, पुरस्कार के कम मामले, कम कोर्ट फीस, हकदार अधिकारियों के लिए लैपटाप और स्मार्टफोन की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और स्थापना संबंधी व्ययों पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "लॉजिस्टिक्स निदेशालय" – ₹2890.78 लाख की बचत ₹7085.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण दावों, तुच्छ निर्माण कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और हकदार अधिकारियों के लिए लैपटाप और स्मार्टफोन की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "राजस्व आसूचना निदेशालय" – ₹1117.20 लाख की बचत (₹16808.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण वेतन और भत्तों, किए गए दौरों, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण दावों, के लिए कम निधियों की आवश्यकता और पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2042" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "निष्पादन प्रबंधन"– ₹748.87 लाख की बचत (₹13897.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण दावों, और किए गए दौरों पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(B) "Preventive and Other Functions" –

(a) "Sea Customs-Major Ports" - saving of ₹8653.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹124485.57 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances, leave travel concession claims, leave encashment, non-revision of rent cases, less cases of rewards, less deficit court fees, non-finalization of procurement of laptops and smart phones for entitled officers and other establishment related expenses.

(b) "Directorate of Logistics" - saving of ₹2890.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7085.85 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances, leave travel concession, leave encashment, minor works and non-finalization of procurement of laptops and smart phones for entitled officers.

(c) "Directorate of Revenue Intelligence" - saving of ₹1117.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16808.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances, tours undertaken, leave travel concession, leave encashment owing to COVID-19 pandemic and non-finalisation of reward cases.

(V) Under Major Head "2042" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Direction and Administration" -

(a) "Performance Management" - saving of ₹748.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13897.09 lakhs) was due to requirement of less funds towards leave travel concession, leave encashment and tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक अकादमी" – ₹2441.09 लाख की बचत (₹9693.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण वेतन और भत्तों, किए गए दौरों, अधिकारियों का मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण IV नहीं होने, और भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण रद्द होने के कारण निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "National Academy of Customes, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN)" - saving of ₹2441.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9693.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, tours undertaken, non-conduction of Mid-Career Training Programme Phase-V of officers and cancellation of training of probationers of Indian Revenue Services owing to COVID-19 pandemic.

(ग) "करदाता सेवा महानिदेशालय" – ₹8177.84 लाख की बचत (₹10263.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'आजादी का अमृत महोत्सव' आइकानिक सप्ताह स्थगित होने के कारण विज्ञापन और प्रचार पर कम निधियों की आवश्यकता और कुछ बिलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, बकाया बिलों को प्रस्तुत नहीं करने और खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(c) "Directorate General of Tax Payer Services"- saving of ₹8177.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10263.70 lakhs) – was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity owing to postponement of iconic week of 'Aazadi ka Amrit Mahotsav' and non-finalization of a few bills, non-submission of arrear bills and non-finalization of procurement process.

(खा) "संग्रहण शुल्क" –

(B) "Collection Charges" –

(क) "कमिश्नरी"– ₹3987.12 लाख की बचत (₹432042.45 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत, के लिए कम निधियों की आवश्यकता, अतिरिक्त वाहनों को किराये पर लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने और किराया बकायों का कम भुगतान होने के कारण हुई ।

(a) "Commissionerates" - saving of ₹3987.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹432042.45 lakhs) was due to requirement of less funds towards leave travel concession, non-completion of hiring process of additional vehicles and less payment of rent arrears.

(ख) "प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के वेतन तथा लेखा अधिकारी (केंद्रीय माल और सेवा कर), सीबीआईसी" – ₹1642.76 लाख की बचत (₹8059.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण दावों और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों और परियोजना की खरीद पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Pay & Accounts Offices (Central Goods & Service Tax) of Principal Chief Controller of Accounts, CBIC"- saving of ₹1642.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8059.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances, leave travel concession claims, leave encashment and procurement of Information Technology peripherals and projects.

(गा) "अन्य व्यय – अन्य मदें" – ₹1095.51 लाख की बचत (₹3009.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रखरखाव/मरम्मत संबंधी निर्माण कार्य रुकने/धीमा होने के कारण हुई।

(C) "Other Expenditure - Other items"- saving of ₹1095.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3009.00 lakhs) was due to halt/slowdown of construction activities regarding maintenance/repair works owing to COVID-19 pandemic.

(VI) मुख्य शीर्ष "2216" – "अन्य आवासीय – रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय"– ₹762.44 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य रुकने/धीमा होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2216" – "Other Housing - Maintenance and Repair – Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹762.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to halt/slowdown of construction activities owing to COVID-19 pandemic.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹718.25 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी।

(VII) Under two heads savings of ₹718.25 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 21 percent and 26 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2042" – "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2042" – "Direction and Administration" – under the following heads: -

(I) "माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय" – ₹2439.33 लाख का अधिक व्यय (₹16913.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन वृद्धि बकाया, किराया बकाया, मंहगाई भत्ते में वृद्धि, रिवार्ड मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, अतिरिक्त प्रचालन वाहनों को किराये पर लेने, सीसीटीवी कैमरों को संस्थापित करने संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के कारण हुआ।

(I) "Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence" – excess of ₹2439.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16913.99 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increment arrears, rent arrears, increase in dearness allowance, finalisation of reward cases, hiring of additional operational vehicles and implementation of Hon'ble Supreme Court orders regarding installation of CCTV cameras.

(II) "सिस्टम और डेटा प्रबंधन" – ₹1508.01 लाख का अधिक व्यय (₹50794.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीजी प्रणाली की उल्लेखनीय परियोजनाओं अर्थात एसआई परियोजना, सीजीएसटी परियोजना एंटरप्राइज डेटाबेस वेयरहाउस परियोजना और आइसीईजीएटीई परियोजनाओं) के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) "Systems & Data Management" - excess of ₹1508.01 lakhs (against sanctioned provision of ₹50794.20 lakhs) was due to requirement of additional funds towards milestone projects of DG system viz. SI project, CGST project, Enterprise Database Warehouse project and ICEGATE project and Mumbai Postal Project.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹19871.25 लाख) दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹42600.00 लाख के पूरक अनुदान का 47 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹19871.25 lakhs) constituted 47 percent of the supplementary grants of ₹42600.00 lakhs obtained in December, 2021 and 23 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआरू

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	10500.00	7800.00	6973.72	-826.28
पु.	R.	-2700.00			
मुख्य शीर्ष "4059" सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	13900.00			
पू.	S.	32700.00	32618.40	30939.97	-1678.43
पु.	R.	-13981.60			
मुख्य शीर्ष "4216" आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	20800.00			
पू.	S.	9900.00	30281.60	30015.06	-266.54
पु.	R.	-418.40			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹1075.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹585.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन" – सीमाशुल्क और जीएसटी कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – सीमाशुल्क और सीजीएसटी कमिश्नरी के लिए तैयार फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत – राष्ट्रमंडल खेल गांव में तैयार फ्लैटों को खरीदने का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1075.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹585.00 lakhs alone accounted for under the major head "4216" – "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Customs and GST Employees – Acquisition of Ready built flats for Customs & CGST Commissionerates" – due to non-sanctioning of proposal for purchase of Ready Built Flats in Common Wealth Games Village.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन–निर्माण–सीमा शुल्क और सीजीएसटी कमिश्नरी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण" का अंतर्गत – ₹13403.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5140.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹18543.00 लाख किया गया। तथापि, ₹6034.37 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य रुकने/धीमा होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Construction – Construction of office building for Customs & CGST Commissionerate" – the original provision of ₹13403.00 lakhs was augmented to ₹18543.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5140.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6034.37 lakhs (including supplementary grant) – due to halt/slow down in construction activities owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – भूमि अधिग्रहण – सीमा शुल्क और सीजीएसटी कमिश्नरी के लिए कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण" के अंतर्गत – ₹7.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹27560.00 लाख रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹27567.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹9135.66 लाख की सीमा तक – कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य रुकने/धीमा होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Acquisition of land – Acquisition of land for construction of office building for Customs & CGST Commissionerate" – the original provision of ₹7.00 lakhs was augmented to ₹27567.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹27560.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹9135.66 lakhs – due to non-finalisation of various proposals for acquisition of land and halt/slow down of construction activities owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमाशुल्क – निवारण और अन्य कार्य" के अंतर्गत – ₹3526.28 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एक्सबीआईएस(एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम) की खरीद और कंटेनर स्कैनर, वीडियोस्कोप और मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनर सिस्टम द्वारा अभियान के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4047" – "Customs – Preventive and other functions" – saving of ₹3526.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of XBIS (X-Ray Baggage Inspection System), Drive through Container Scanners, Videoscope and Mobile X-Ray Container Scanner System.